मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०२३

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२३

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा १० का संशोधन.

३. धारा १६ का संशोधन.

४. धारा १७ का संशोधन.

५. धारा २३ का संशोधन.

६. धारा ३० का संशोधन.

७. धारा ३७ का संशोधन.

८. धारा ३९ का संशोधन.

९. धारा ४४ का संशोधन.

१०. धारा ५२ का संशोधन.

११. धारा ५४ का संशोधन.

१२. धारा ५६ का संशोधन.

१३. धारा ६२ का संशोधन.

१४. धारा १०९ के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

१५. धारा ११० का लोप.

१६. धारा ११४ का लोप.

१७. धारा ११७ का संशोधन.

१८. धारा ११८ का संशोधन.

१९. धारा ११९ का संशोधन.

२०. धारा १२२ का संशोधन.

२१. धारा १३२ का संशोधन.

२२. धारा १३८ का संशोधन.

२३. नई धारा १५८ ए का अंत:स्थापन.

२४. अनुसूची-तीन का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०२३

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२३

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२३ है.

(२) यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

धारा १० का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १० में,—

(क) उप-धारा (२) में, खण्ड (घ) में, शब्द ''माल या'' का लोप किया जाए;

(ख) उप-धारा (२क) में, खण्ड (ग) में, शब्द ''माल या'' का लोप किया जाए.

धारा १६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १६ में उप-धारा (२) में,—

(एक) दूसरे परन्तुक में, शब्द ''उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा'' के स्थान पर, शब्द और अंक, ''धारा ५० के अधीन देय ब्याज के साथ, उसके द्वारा भुगतान किया जायेगा'' स्थापित किया जाए;

(दो) तीसरे परन्तुक में, शब्द ''उसके द्वारा'' के पश्चात्, शब्द ''प्रदायकर्ता को'' जोड़े जाए.

धारा १७ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १७ में,—

(क) उप-धारा (३) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण.**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति ''छूट-प्राप्त प्रदाय के मूल्य'' में अनुसूची-तीन में विनिर्दिष्ट कार्यकलाप या संव्यवहार का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, सिवाय,—

(एक) उक्त अनुसूची के पैरा ५ में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप या संव्यवहार का मूल्य; और

(दो) उक्त अनुसूची के पैरा ८ के खण्ड (क) के संबंध में विहित क्रियाकलाप या संव्यवहार का मूल्य.'';

(ख) उप-धारा (५) में, खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(चक) एक कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, जो कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा १३५ में निर्दिष्ट कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसके दायित्वों से संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए आशायित हैं;".

धारा २३ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २३ में, उप-धारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा स्थापित की जाए और १ जुलाई, २०१७ से स्थापित की गई समझी जाए, अर्थात्:—

"(२) धारा २२ की उप-धारा (१) या धारा २४ में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें निर्दिष्ट किए जाएं, उन व्यक्तियों की श्रेणी निर्दिष्ट कर सकती हैं जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है.".

धारा ३० का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ३० में, उप-धारा (१) में,—

(क) शब्द "रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से", के स्थान पर, शब्द "ऐसी रीति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, स्थापित किए जाएं.

(ख) परन्तुक का लोप किया जाए.

धारा ३७ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ३७ में, उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उप-धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

"(५) एक पंजीकृत व्यक्ति को उप-धारा (१) के अधीन किसी कर अवधि के लिए, उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् जावक पूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परन्तु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को उप-धारा (१) के अधीन उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी एक कर अवधि के लिए जावकपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगी.".

धारा ३९ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ३९ में, उप-धारा (१०) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोडी जाए, अर्थात्:—

"(११) एक पंजीकृत व्यक्ति को विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परन्तु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विवरण प्रस्तुत करने की उक्त देय तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्ति के पश्चात् भी एक कर अवधि के लिए उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है.".

धारा ४४ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ४४ को उसकी उप-धारा (१) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए, और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

"(२) एक पंजीकृत व्यक्ति को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (१) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परन्तु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को एक वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (१) के अंतर्गत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगी.".

धारा ५२ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ५२ में, उप-धारा (१४) के पश्चात्, निम्मलिखित उप-धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

"(१५) प्रचालक को उप-धारा (४) के अधीन एक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन साल की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमदि नहीं दी जाएगी:

परन्तु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जाए एक प्रचालक या प्रचालकों के एक वर्ग को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर भी उप-धारा (४) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगी.".

धारा ५४ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ५४ में, उप-धारा (६) में शब्द "जिसके अंतर्गत अंतिमत: स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है," का लोप किया जाए.

धारा ५६ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ५६ में, शब्द "उक्त धारा के अधीन आवेदन प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक", के स्थान पर शब्द "इस तरह के आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक साठ दिनों से अधिक विलंब की अवधि के लिये, ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा विहित किया जाये, के अनुसार गणना की जाकर" स्थापित किए जाएं.

धारा ६२ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ६२ में, उप-धारा (२) में,—

(क) शब्द "तीस दिन" के स्थान पर, शब्द "साठ दिन" स्थापित किए जाएं.

(ख) पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु यह कि जहां पंजीकृत व्यक्ति उप-धारा (१) के अधीन निर्धारण आदेश की तामीली से साठ दिनों के भीतर एक विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वह साठ दिनों से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये अतिरिक्त विलंब शुल्क के भुगतान पर उक्त निर्धारण आदेश की तामीली के साठ दिनों की एक और अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत कर सकता है. यदि वह ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करता है, तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा, किन्तु धारा ५० की उप-धारा (१) के अधीन ब्याज का भुगतान या धारा ४७ के अधीन विलंब शुल्क का भुगतान करने के दायित्वाधीन रहेगा.".